संख्या- 317 /2025/ 2797 /चार-2025-1704612

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 10 अक्टूबर, 2025**

विषय:- आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत जनपद कन्नौज में रोमा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को समर्पित स्मारक एवं मुक्ताकाशी मंच के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1648/सं0नि0-6(164)/2022-23, दिनांक 03 सितम्बर, 2025 के संदर्भ में अवगत कराना है कि आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत जनपद कन्नौज में रोमा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के स्मारक एवं मुक्ताकाशी मंच का विकास परियोजना हेतु प्रमुख सचिव, संस्कृति की अध्यक्षता में अप्रेजल कमेटी की सम्पन्न बैठक दिनांक 05.07.2023 में रु0 480.17 लाख की धनराशि पर स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें से रु0 400.00 लाख की धनराशि सेन्टेनरी एण्ड एनीवर्सरी स्कीम के अन्तर्गत संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से केन्द्रांश के रूप में तथा अवशेष धनराशि रु0 80.17 लाख राज्यांश के रूप में प्रदान की जानी है।

2. प्रायोजना हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदत्त केन्द्रांश रू0 400.00 लाख के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि रू0 375.00 लाख के क्रम में कार्यदायी संस्था - यू0 पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, (यूपीपीसीएल) को अब तक रू0 375.00 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार जनपद कन्नौज में रोमा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के स्मारक एवं मुक्ताकाशी मंच का विकास परियोजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्यांश की धनराशि रु0 80.17 लाख में से 05 प्रतिशत (रू0 4.17 लाख) धनराशि रोकते हुए शेष धनराशि **रू0 76.00 लाख (रूपये छिहत्तर लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) शासनादेश संख्या- 2033/चार-2023 दिनांक 10 जुलाई, 2023 तथा शासनादेश संख्या- 1229/चार-2024 दिनांक 04 अप्रैल, 2024 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।
(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
(4) कार्यदायी संस्था द्वारा जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी से अब तक हुए कार्य की हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति शासन एवं संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
(5) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।
(6) धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था- यू0 पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, (यूपीपीसीएल) के बैंक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 76,00,000.00 (रूपये छिहत्तर लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202048000300 प्रेक्षागृह / खुला मंच का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. जिलाधिकारी, कन्नौज।
5. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबंध निदेशक, यू0 पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, (यूपीपीसीएल) लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, उ0प्र0 लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (ई-7) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/3, उत्तर प्रदेश शासन।
10. परियोजना प्रबंधक, निर्माण इकाई-10, यू0 पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, कानपुर। (ई-मेल- unit10.pmuppcl@gmail.com, pm.10@upprojects.org)
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in